संख्या-133/2017/आर-1710/26-3-2017-4(7)/2015

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 अगस्त 2017

विषयः- रिट याचिका संख्या-16444/2017 अनिल कुमार भारती व 03 अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य मे पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-19.04.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-1532/सक/शिक्षा-अ/01/221/2016-17,दिनांक-16.06.2017 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका से आच्छादित छात्र-छात्रों की वर्ष 2013-14 की अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि जो पूर्व में शासनादेश संख्या-69/2017/आर-528/26-3-2017-4(16)/2015, दिनांक-02.05.2017 द्वारा अन्य रिट याचिकाओं से आच्छादित प्रकरणो में कुल रूपया-47,21,160.00 (रूपया सैतालिस लाख इक्कीस हजार एक सौ साठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-83 में सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत प्राविधानित एवं निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति से भुगतान हेतु दी गयी अनुमति में सम्मिलित होने के कारण शासन के पत्र सं0-84/2017/आर-1216/26-3-2017-4(16)/2015, दिनांक-25.05.2017 द्वारा पृथक से भुगतान हेतु दी गयी अनुमति को निरस्त किया जाता है।

2- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0 संख्या-133/2017/आर-1710(1)/26-3-2017तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, गाजीपुर।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- जिला समाज कल्याण अधिकारी, गाजीपुर।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।